निरी0आ0 सं0 13 /टा0फो0नैनी0/पुल/2014-15

कार्यालय भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जिला टास्क फोर्स, नैनीताल स्थित हल्द्वानी।

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत हल्द्वानी-चौरगलिया-सितारगंज मोटर मार्ग के किमी0 80.00 में सूर्यानाला में 100.00 मीटर स्पान के तथा किमी0 82.00 मे सूखी नदी (शेरनाला) में 120.00 मीटर स्पान के आर0सी0सी0 प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट सेतु के निर्माण हेतु स्थलों की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

प्रस्तावना:-

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांक 681/4 सी, दिनांक 04.03.2014 के माध्यम से सन्दर्भित उपरोक्त चयनित स्थलों का भूगर्भीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 02.04.2014 को कार्यदायी विभाग के प्रतिनिधि श्री सुरेश चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता एवं श्री जसवन्त सिंह रौतेला, अमीन की उपस्थिति मे सम्पन्न किया गया, जिसकी निरीक्षण आख्या निरीक्षण आख्या निम्नवत है:-

स्थिति एवं भूगर्भीय संरचना:-

प्रस्तावित स्थल, हल्द्वानी-चौरगलिया-सितारगंज मोटर मार्ग पर स्थित हैं जहां मोटर मार्ग कई बरसाती नालों से होकर गुजरता है जो नाले दक्षिण की ओर मिलकर सूखी नदी का निर्माण करते हैं। वर्तमान में मोटर मार्ग के इन नालों से गुजरने वाले स्थलों पर कोजवे का निर्माण किया गया है। सामान्यतः इन बरसाती नालों में कोई जल प्रवाहित नही होता है तथा ये वर्ष भर सूखे रहते हैं जबकि वर्षाकाल में इन बरसाती नालों में अधिक जल प्रवाहित होने पर इस मोटर मार्ग में आवागमन बाधित होता है। इस मोटर मार्ग में स्थित दो नालों (1.सूर्यानाला एवं 2. शेरनाला) पर दो सेतुओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। यह दोनो नाले एवं इनके निकटवर्ती क्षेत्र मे स्थित मोटर मार्ग का सम्पूर्ण समरेखण आरक्षित वन भूमि से होकर गुजरता है। प्रस्तावित दोनो सेतुओं के निर्माण हेतु प्रत्येक सेतु में बनाये जाने वाले एबटमेन्ट की संख्या व क्षेत्र मे उनकी स्थिति के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा कोई अभिलेख उपलब्ध नही कराये गये हैं। प्रस्तावित दोनो सेतुओं की स्थिति का विवरण निम्न प्रकार है:-

स्थल-01 (सूर्यानाला पर प्रस्तावित सेतु)-

प्रस्तावित स्थल, हल्द्वानी-चौरगलिया-सितारगंज मोटर मार्ग के किमी0 80.00 में स्थित है। स्थल पर स्थित मोटर मार्ग बरसाती नाले (सूर्यानाला) के मध्य से होकर जाता है। वर्तमान में नाले के मध्य कोजवे का निर्माण किया गया है जो नाले के बाहर स्थित मोटर मार्ग के स्तर से लगभग 1.5 मीटर कम ऊंचाई प्रदर्शित करता है। प्रस्तावित स्थल पर मोटर मार्ग का समरेखण 65°-245° है। इस स्थल पर नाले की चौडाई लगभग 100 मीटर है तथा नाले का समरेखण 130°-310° व बहाव की दिशा उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर है। नाले के उत्तर-पूर्व व दक्षिण-पश्चिम की ओर सघन वृक्षाच्छादित भूभाग स्थित है जिससे होकर मोटर मार्ग गुजरता है। कार्यदायी संस्था के द्वारा प्रस्ताव के साथ उपलब्ध कराये गये अभिलेखों एवं मानचित्र के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर [illegible] मीटर लम्बाई व 12 मीटर चौड़ाई के सेतु का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। स्थल पर प्रस्तावित सेतु के दक्षिण-पश्चिम की ओर 70 मीटर लम्बाई व 20 मीटर चौड़ाई वाले सम्पर्क मार्ग तथा उत्तर-पूर्व की ओर 60 मीटर लम्बाई व 20 मीटर चौड़ाई वाले सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार स्थल पर कुल 4600 [illegible] (0.46 हेक्टेयर) भूभाग, वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित किया गया है। निरीक्षण के समय स्थल पर [illegible] कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित सेतु की नाले के वर्तमान स्तर से [illegible] 4.5 मीटर प्रस्तावित की गयी है।

आवेदित स्थल, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट सं0 53 O/12 के अन्तर्गत आता है। [illegible] समुद्र तल से लगभग 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रस्तावित सेतु का दक्षिण-पश्चिमी किनारा (बिन्दु) [illegible] अक्षांश व देशान्तर पर स्थित है :-

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
Const. Division, P. W. D.
HALDWANI

(3)

उत्तर 29° 08' 42.4'' अक्षांश
पूर्व 79° 37' 49.6'' देशान्तर

प्रस्तावित सेतु का उत्तर–पूर्वी किनारा (बिन्दु) निम्न अक्षांस व देशान्तर पर स्थित है :–

उत्तर 29° 08' 43.9'' अक्षांस
पूर्व 79° 37' 53.2'' देशान्तर

<u>स्थल–02 (सूखीनदी/शेरनाला पर प्रस्तावित सेतु):–</u>

प्रस्तावित स्थल, हल्द्वानी–चौरगलिया–सितारगंज मोटर मार्ग के किमी0 82.00 में स्थित है। स्थल पर स्थित मोटर मार्ग बरसाती नाले (शेरनाला) के मध्य से होकर जाता है। वर्तमान में नाले के मध्य कोजवे का निर्माण किया गया है जो नाले के बाहर स्थित मोटर मार्ग के स्तर से लगभग 2.0 मीटर कम ऊंचाई प्रदर्शित करता है। प्रस्तावित स्थल पर मोटर मार्ग का समरेखण 120°–300° है। इस स्थल पर नाले की चौड़ाई लगभग 75 मीटर है तथा नाले का समरेखण 30°–210° व बहाव की दिशा उत्तर–पूर्व से दक्षिण–पश्चिम की ओर है। नाले के उत्तर–पश्चिम व दक्षिण–पूर्व की ओर सघन वृक्षाच्छादित भूभाग स्थित है जिससे होकर मोटर मार्ग गुजरता है। कार्यदायी संस्था के द्वारा प्रस्ताव के साथ उपलब्ध कराये गये अभिलेखों एवं मानचित्र के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर 120 मीटर लम्बाई व 12 मीटर चौड़ाई के सेतु का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। स्थल पर प्रस्तावित सेतु के उत्तर–पश्चिम की ओर 50 मीटर लम्बाई व 20 मीटर चौड़ाई वाले सम्पर्क मार्ग तथा दक्षिण–पूर्व की ओर 50 मीटर लम्बाई व 20 मीटर चौड़ाई वाले सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार स्थल पर कुल 4400 वर्गमीटर (0.44 हेक्टेयर) भूभाग वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित किया गया है। निरीक्षण के समय स्थल पर उपस्थित कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित सेतु की नाले के वर्तमान स्तर से ऊंचाई 4.5 मीटर प्रस्तावित की गयी है।

आवेदित स्थल, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट सं0 **53 O/12** के अन्तर्गत आता है। स्थल समुद्र तल से लगभग 295 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रस्तावित सेतु का उत्तर–पश्चिमी किनारा (बिन्दु) निम्न अक्षांस व देशान्तर पर स्थित है :–

उत्तर 29° 08' 16.0'' अक्षांस
पूर्व 79° 38' 43.2'' देशान्तर

प्रस्तावित सेतु का दक्षिण–पूर्वी किनारा (बिन्दु) निम्न अक्षांस व देशान्तर पर स्थित है :–

उत्तर 29° 08' 13.9'' अक्षांस
पूर्व 79° 38' 46.8'' देशान्तर

भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से यह सम्पूर्ण क्षेत्र हिमालय पर्वत श्रंखला के दक्षिणी भाग मे स्थित बाह्य हिमालय के गिरीपाद मे स्थित है। प्रस्तावित स्थल की सतह पर कठोर स्वस्थानिक चट्टाने दृष्टिगोचर नही होती है। प्रस्तावित स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र मे स्थित भूभाग मे सतह पर भूरे रंग की मृदा के साथ गोलीय कोबेल तथा पैबल के मिश्रण का मोटा आवरण है। स्थल पर एवं स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित खुले भूखण्डो का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि स्थल पर नीचे की ओर कोबेल व पैबल के साथ अधिक मात्रा मे बोल्डरो के मिश्रण के स्थित होने की सम्भावना है। प्रस्तावित स्थल नाले का मध्य भाग है जिसमें वर्तमान में कोबेल, पैबल व बोल्डर, बालू के साथ मिश्रित अवस्था मे विद्यमान हैं। नालों मे पाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के चट्टानों के टुकड़ों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि वर्षाकाल में अतिवृष्टि के समय इन नालों मे अत्याधिक जल प्रवाहित होता

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
Const. Division, P. W. D.
HALDWANI

होगा जो नालो में बड़े बोल्डर व मलबा प्रवाहित करने की क्षमता रखता होगा। प्रस्तावित दोनो स्थल भाबर क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित हैं जिनमें भाबर क्षेत्र की भूगर्भीय संरचना व्याप्त है। प्रस्तावित स्थल एक जलोढ़ पंख के अन्तर्गत स्थित हैं जिसका ऊपरी भाग, गोला नदी, सूखी नदी व इनकी सहायक नदियों द्वारा कालान्तर मे अपने साथ बहाकर लाये गये नदीय अवसादों के स्थल पर निक्षेपित होकर कठोर हुये भाग से निर्मित हुआ प्रतीत होता है। स्थल पर ढलाने दृष्टिगोचर नही होती हैं तथा स्थल लगभग समतल है। स्थल–01 सूर्यानाला में सामान्य ढलाने दक्षिण–पूर्व की ओर तथा स्थल–02 शेरनाला में सामान्य ढलाने दक्षिण की ओर है। निरीक्षण के समय स्थल पर भूस्खलन के कोई चिन्ह सतह पर दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। स्थल वर्तमान में स्थिर (प्राकृतिक आपदा को छोड़कर) प्रतीत होता है।

<u>सुझाव एवं शर्ते:–</u>

प्रथम दृष्टया निरीक्षण के दौरान वर्तमान में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश मे नही आया जिससे कि निर्माण से भूखण्डों को कोई खतरा उत्पन्न हो, तथापि भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से सेतुओं का निर्माण करते समय निम्नलिखित सुझावों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा:–

1. स्थल पर सेतु, नालो के अधिकतम बाढ़ सतह के पर्याप्त ऊपर सेफ्टी फैक्टर्स के समाकलन के उपरान्त निर्मित किये जाने होगें।
2. स्थल पर प्रस्तावित एबटमेन्ट्स के अप व डाउन स्ट्रीम तलों को सुरक्षा धारक दीवार व सी०सी०ब्लॉक्स से ट्रीट कर नाले के लेटरल व डाउनवर्ड कटिंग को न्यून किया जाना होगा।
3. स्थल वन भूमि होने की दशा मे, वन संरक्षण अधिनियम–1980 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम–1986 में निहित सम्पूर्ण प्राविधानों एवं समय–समय पर पारित अन्य नियमों के अनुरूप वन विभाग से समुचित अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना होगा।
4. एबटमेन्ट व सी०सी० प्लग ब्लॉक्स का आधार नाले के बेस लेवल ऑफ इरोजन से यथा सम्भव नीचे ही रखा जाना होगा।
5. स्थल पर निर्माण कार्य करने से पूर्व, स्थल की भारग्रही क्षमता की जांच करायी जानी होगी तथा जांच के उपरान्त प्राप्त होने वाली संस्तुतियों के अनुरूप ही सेतुओं की डिजाइनिंग व एबटमेन्ट्स का निर्माण किया जाना होगा।
6. प्रस्तावित सम्पूर्ण भूभाग भूकम्पीय जोन IV में स्थित होने के कारण, सेतुओं की डिजाइनिंग व एबटमेन्ट्स के आधार का निर्माण भूकम्पीय जोन IV हेतु निर्धारित निर्माण के मानकों के अनुरूप तथा भूकम्परोधी तकनीक से ही किया जाना होगा।
7. नालो का निकटवर्ती क्षेत्र मृदा बाहुल्य क्षेत्र है अतः निर्माण कार्य में स्वाइल मैकेनिक्स के सुरक्षित व लॉजिकल सिद्धान्तों का अनुपालन किया जाये।
8. सेतुओं का निर्माण, पहाड़ी क्षेत्रों में सिविल इंजिनियरिंग के निर्माण कार्यों के लिये बी०आई०एस० कोड मे निर्धारित किये गये मानको व नियमों के अनुसार ही किया जाना होगा।

अतः उपरोक्त सुझावों के अनुपालन की दशा में ही उपरोक्त स्थल भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से सेतुओं के निर्माण हेतु उपयुक्त (प्राकृतिक आपदा को छोड़कर) प्रतीत होते हैं। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा उपरोक्त सुझावों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं उसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली भूगर्भीय दृष्टिकोण से विपरीत परिस्थितियों के लिये कार्यदायी संस्था स्वयं ही उत्तरदायी होगी।

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
Const. Division, P. W. D.
HALDWANI

(लख राज)
सहायक भूवैज्ञानिक

प्रपत्र–27

परियोजना का नामः– जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर–कालाढूंगी–हल्द्वानी–काठगोदाम–चोरगलिया–सितारगंज– विजटी राज्य मार्ग के कि0मी0 80 नदी सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर0सी0सी0प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रपत्र–28

परियोजना का नाम:– जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर–कालाढूंगी– हल्द्वानी– काठगोदाम–चोरगलिया–सितारगंज– विजटी राज्य मार्ग के कि0मी0 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर0सी0सी0प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.
Apart from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
(ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in road. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
(iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.

(iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants In.

क्रमश -2

(v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shippingand transport has issued instruction laying down broad guidelines andcheck list of the preparation of road construction projects whichprovide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads. these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियाँ का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
हल्द्वानी (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

82

प्रपत्र–29

परियोजना का नाम:– जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर–कालाढूँगी– हल्द्वानी– काठगोदाम–चोरगलिया–सितारगंज– बिजटी राज्य मार्ग के कि0मी0 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर0सी0सी0प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण–पत्र

मानक शर्तें

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारों का रख–रखाव किया जायेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वछन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरीयों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भुगतान किये बिना वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय करते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0 नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा। वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण कार्य करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।

हस्ता: -2

14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध नहोने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तकपरिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सीद्वारा वन विभाग किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़ेवृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण सम्बन्धित वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरिडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।

16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को स्वयं के व्यय से करायेगा।

17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा सक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
हल्द्वानी (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

मानक शर्तो का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः– जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुऑं के अन्तर्गत रामनगर–कालाढूँगी–हल्द्वानी–काठगोदाम–चोरगलिया–सितारगंज–विजटी राज्य मार्ग के कि0मी0 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर0सी0सी0प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त विषयक परियोजना के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में उल्लेखित मानक शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

परियोजना का नाम:– जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर–कालाढूंगी– हल्द्वानी– काठगोदाम–चोरगलिया–सितारगंज– विजटी राज्य मार्ग के कि0मी0 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर0सी0सी0प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नही है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नही की गई है।

सहायक अभि...
प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०,
हल्द्वानी (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

Sub Divisional Magistrate
HALDWANI (Nainital)
Uttarakhand.

जिलाधिकारी
नैनीताल.

प्रपत्र–31

परियोजना का नामः– जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुऑं के अन्तर्गत रामनगर–कालाढूँगी– हल्द्वानी– काठगोदाम–चोरगलिया–सितारगंज– विजटी राज्य मार्ग के कि0मी0 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर0सी0सी0प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचायें जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख–रखाव के दौरान वन्य जीवों/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुँचाया जायेगा।

सहायक अभि०
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

परियोजना का नामः– जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर–कालाढूंगी– हल्द्वानी– काठगोदाम–चोरगलिया–सितारगंज– बिजटी राज्य मार्ग के कि0मी0 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर0सी0सी0प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रपत्र–33

परियोजना का नामः– जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर–कालाढूँगी– हल्द्वानी– काठगोदाम–चोरगलिया–सितारगंज– बिजटी राज्य मार्ग के कि0मी0 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर0सी0सी0प्रीस्ट्रेंड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क्रमांक	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	परिवारों की संख्या
1.	खेड़ा	26.71	534
2.	नवाड़खेड़ा	1108	277
3.	देवलातल्ला पजाया	467	93
4.	देवलामल्ला	565	112
5.	देवलातल्ला सिमलार	159	36
6.	कुवरपुर	529	132
7.	लाखनमंडी	581	345
8.	मल्लापचौनिया	454	75
9.	तल्लापचौनिया	264	52
10.	नयागाव कदान	565	97
11.	इन्दपुर	183	36
12.	गंगापुर	64	31
13.	उम्मेदपुर	155	26
14.	जयपुर खोलिया	364	61
15.	सीतापुर	598	98
16.	मदनपुर	448	71
17.	देवपुरदेवका	294	59
18.	बसंतपुर	451	90
19.	रतनपुर नेगी	328	65
20.	उदयपुर रैक्वाल	123	25
21.	भुसापुर	82	15
22.	धर्मपुर	106	20
23.	देवपुरदानी	127	24
24.	त्रिलोकपुर दानी	450	94
25.	हरिपुर ढठोला	44	6
26.	बासखेड़ा ईश्वरीदत्त	225	48
27.	सेलाभाबर त्रिलोक सिंह	138	24
28.	सेलाभाबर मेहर सिंह	121	20
29.	विजयपुर	278	60
30.	जगतपुर	585	120

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

परियोजना का नामः– जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर–कालाढूँगी– हल्द्वानी– काठगोदाम–चोरगलिया–सितारगंज– विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण–पत्र

(वन भूमि मूल्य का प्रमाण पत्र संलग्न है)

सहायक अभि०
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
हल्द्वानी (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुँआ के अन्तर्गत रामनगर–कालाढूंगी–हल्द्वानी–काठगोदाम–चोरगलिया–सितारगंज–बिज्टी राज्य मार्ग के कि0मी0 80 सूर्या नाला में 100 मी0 स्पान के आर0सी0सी0 प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट सेतु एवं पहुँच मार्ग का निर्माण।

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुँआ के अन्तर्गत रामनगर– कालाढूंगी–हल्द्वानी–काठगोदाम–चोरगलिया–सितारगंज–बिज्टी राज्य मार्ग के कि0मी0 80 सूर्या नाला में 100 मी0 स्पान के आर0सी0सी0 प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट सेतु एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि/गैर वनभूमि उपलब्ध नहीं है, जहॉ उक्त परियोजना का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, उक्त चयनित **0.46** है० वनभूमि का बाजार मूल्य/दर **₹ 2800000.00 (अठाईस लाख रूपये)** प्रति हैक्टेयर है। तदानुसार उक्त वनभूमि का कुल मूल्य **₹ बारह लाख अठासी हजार** होता है।

लालकुँआ 01/04/2014

राजस्व निरीक्षक क्षेत्र काठगोदाम, 01/04/2014

तहसीलदार हल्द्वानी 5/4

Sub Divisional Magistrate HALDWANI (Nainital) Uttarakhand.

जिलाधिकारी नैनीताल,

परियोजना का नामः– जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआं के अन्तंगत रामनगर–कालाढूंगी–हल्द्वानी–काठगोदाम–चोरगलिया–सितारगंज बिजटी राज्य मार्ग के किमी0 80 सूर्यनाला में 100 मीटर स्पान के आर0सी0सी0प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित उक्त वन भूमि 1.00 है0 से कम है। अतः प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना / प्राकलन संलग्न किया जाना अनिवार्य नहीं है।

प्रयोक्ता एजेन्सी

वन प्रभागीय [illegible]
(लो0नि0)
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

वन क्षेत्राधिकारी
किशनपुर
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

प्रपत्र - 35, 36

परियोजना का नामः– जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआं के अर्न्तगत रामनगर–कालाढूंगी–हल्द्वानी–काठगोदाम–चोरगलिया–सितारगंज विजटी राज्य मार्ग के किमी० 80 सूर्यनाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कन्क्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित उक्त वन भूमि 1.00 है० से कम है। अतः प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना / प्राकलन संलग्न किया जाना अनिवार्य नहीं है।

प्रयोक्ता एजेन्सी

उप प्रभागीय वनाधिकारी (गौला) तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

वन क्षेत्राधिकारी, कि[illegible]पुर तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी.

प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी.

प्रपत्र–35

परियोजना का नाम:– जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर– कालाढूँगी– हल्द्वानी– काठगोदाम–चोरगलिया–सितारगंज– बिजटी राज्य मार्ग के कि0मी0 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर0सी0सी0प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन मय मानचित्र

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

वृक्षारोपण स्थल का नाम :–......................क्षेत्रफल .... हे0

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या ....

क्रसं	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रू0 में)	योग
1	2	3	4	5
1	सर्वे एवं सीमांकन			
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)			
3	अग्रिम दीवाल बन्दी (फेन्सिंग)			
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल–खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यों हेतु प्राविधान			
5	गड्ढा खुदान (0.30 x 0.30 x 0.45)			
6	निरीक्षण बटिया बनाना			
7	पौधों का मूल्य			
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्यों पर व्यय			
9	अन्य कार्य			
	योग–प्रथम चरण			
	द्वितीय चरण			
1	गड्ढा भरान (0.30 x 0.30 x 0.45)			
2	पौधों का मूल्य			
3	पौध ढुलान कार्य			
4	पौधरोपण व थालाबन्दी			
5	निराई गुड़ाई व मल्चिंग (दो बार)			
6	खाद व दवा पर व्यय			
7	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय			
8	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत			

	8.1सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0			
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना			
	8.2 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।			
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार–प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य			
10	अन्य कार्य			
	योग द्वितीय चरण			

वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0 2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना			
3	अन्य कार्य			
	योग :–			

वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
	अन्य कार्य			
	योग :–			

वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
	अन्य कार्य			
	योग :–			

वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
	अन्य कार्य			
	योग :–			

वृक्षारोपण का पाँचवें वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त पाँचवे वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
	अन्य कार्य			

	योग :-			

वृक्षारोपण का छठें वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठें वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
	अन्य कार्य			
	योग :-			

वृक्षारोपण का सातवां वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवां वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
	अन्य कार्य			
	योग :-			

क्षतिपूरक वृक्षारोपण की कुल लागत :- रिक्त-

ह0/
प्रभागीय वनाधिकारी

45

परियोजना का नामः– जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर– कालाढूंगी– हल्द्वानी– काठगोदाम–चोरगलिया–सितारगंज– बिजटी राज्य मार्ग के कि0मी0 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर0सी0सी0प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ...—... स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है। लागू नहीं है।

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः– जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर– कालाढूँगी– हल्द्वानी– काठगोदाम–चोरगलिया–सितारगंज–विजटी राज्य मार्ग के कि0मी0 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर0सी0सी0प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

परियोजना / मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण वहन किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना / मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना को वहन करने को लो0नि0वि0 सहमत है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

परियोजना का नामः— जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र, लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर–कालाढूंगी–हल्द्वानी–काठगोदाम –चोरगलिया–सितारगंज– बिजटी राज्य मार्ग के कि0मी0 80 सूर्या नाला में 100 मी0 स्पान के आर0 सी0 सी0 प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट सेतु एवं पहुँच मार्ग।

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना

क्र. स.	कार्य विवरण	सं0	मात्रा		दर	धनराशि रू0 में
1	2	3	4		5	6
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं सीमा निर्धारण कार्य	1	0.50	है0	73.00	36.50
2	पूरी पृथक क्षेत्र की सफाई एवं झाड़ी कटान कार्य	1	0.50	है0	6,476.00	3,238.00
3	गड्ढा खुदान कार्य (0.45 X 0.45 X 0.45)	1	0.50	है0	8,056.00	4,028.00
4	नर्सरी पर व्यय	1	0.50	है0	10,060.00	5,030.00
5	कांटेदार तार का मूल्य	1	0.50	कु0	4,824.00	2,412.00
6	तार लगाने का पारिश्रमिक	1	0.50	है0	1,001.00	500.50
7	आर0सी0सी0 पोल की बनवाई	1	100.00	नग	263.00	26,300.00
8	आर0 सी0सी0 पोल का मौके तक ढुलान एवं लगाना	1	100.00	नग	57.18	5,718.00
9	गड्ढा भरान (0.45 X 0.45 X 0.45)	1	0.50	है0	896.00	448.00
10	पौधारोपण स्थानीय ढुलान सहित	1	0.50	है0	2,239.000	1,119.50
11	पौध ढुलान नर्सरी से मौके तक	1	0.50	है0	2,685.000	1,342.50
12	निराई–गुड़ाई प्रथम	1	0.50	है0	1,760.00	880.00
	द्वितीय	1	0.50	है0	1,408.00	704.00
	तृतीय	1	0.50	है0	880.00	440.00
13	आग से बचाव हेतु खरपतवार दबाने हेतु गुड़ाई/झाड़ी कटान आदि कार्य	1	0.50	है0	1,475.00	737.50
14	[illegible] के बाहर आग लाइन सफाई	1	0.50	है0	143.00	71.50
15	[illegible] का पारिश्रमिक 1 श्रमिक	1	8.00	माह	5,720.00	45,760.00
16	अन्य व्यय प्रथम वर्ष रखरखाव, प्रचार–प्रसार एवं [illegible] आदि	1	0.50	है0	2,192.66	1,096.33
					योगः–	99,862.33
17	द्वितीय वर्ष तक रखाव	1	0.50	है0	11,346.00	5,673.00
18	[illegible] वर्ष तक रखाव	1	0.50	है0	11,284.00	5,642.00
[illegible]	[illegible] वर्ष तक रखाव	1	0.50	है0	11,284.00	5,642.00
[illegible]	[illegible] वर्ष तक रखाव	1	0.50	है0	11,284.00	5,642.00
[illegible]	[illegible] वर्ष तक रखाव	1	0.50	है0	11,284.00	5,642.00
[illegible]	[illegible] वर्ष तक रखाव	1	0.50	है0	11,284.00	5,642.00
[illegible]	[illegible] वर्ष तक रखाव	1	0.50	है0	11,284.00	5,642.00
[illegible]	[illegible] वर्ष तक रखाव	1	0.50	है0	11,284.00	5,642.00
[illegible]	[illegible] वर्ष तक रखाव	1	0.50	है0	11,284.00	5,642.00
					कुल योगः–	150,671.33

[illegible]अधिकारी
[illegible] क्षेत्र

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गौला उप वन प्रभाग, हल्द्वानी

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

प्रपत्र — 37

परियोजना का नाम– प्राकलनः बावत विधान सभा क्षेत्र लालकुंआ के अन्तर्गत रामनगर– कालाढूंगी– हल्द्वानी– चोरगलिया– सितारगंज– बिजटी राज्य मार्ग कि0मी0 सं0 80 सूर्यानाला में 100 मी0 स्पान के आर0सी0सी0 प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट सेतु के पहुँच मार्ग निर्माण हेतु पहुँच मार्ग के दोनों ओर बायी/दायी साईट पर स्थित आरक्षित वन भूमि डोलपोखरा 7 अ एवं 8 स की भूमि 0.14 है0 का हस्तान्तरण।

रिक्त पड़े स्थानों पर उचित प्रजातियों क वृक्षारोपण का प्राक्कलन

वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

वृक्षारोपण स्थल का नाम– कालूखेड़ा कक्ष सं0 6 क्षेत्रफल– 1.00 है0 में रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या.... 100 पौध

G.P.S.- N- 29° 09' 45.4"
E- 079° 36' 30.7"

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	योग
1	2	3	4	5
1	सर्वे एवं सीमांकन	1.00 है0	73.00	73.00
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	1.00 है0	6474.00	6474.00
3	जैविक दीवाल बंदी (फैन्सिंग) मय तार/पोल/स्थापना सहित	1.00 है0	16394.00	16394.00
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल–खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यों हेतु प्राविधान,	–	–	–
5	गड्ढा खुदान (0.30x0.30x0.45)	100	5.819	581.90
6	निरीक्षण बटिया बनाना	1.00 है0	407.00	407.00
7	पौधों का मूल्य (दो वर्षीय पौधे)	100	10.06	1006.00
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्यों पर व्यय	1.00 है0	3073.00	3073.00
9	अन्य कार्य (श्रमिकों हेतु पानी की व्यवस्था)	–	L.S.	1000.00
	योग प्रथम चरण:–			29008.90

द्वितीय चरण

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	योग
1	गड्ढा भरान (0.30x0.30x0.45)	100	6.72	672.00
2	पौधों का मूल्य	–	–	–
3	पौध ढुलान कार्य	100	2.685	102.685
4	पौधरोपण व थावलाबन्दी/स्थानीय ढुलान सहित	100	2.239	694.09
5	निराई गुड़ाई व मल्चिंग (दो बार)	100	3.168	316.80
6	खाद व दवा पर व्यय	1.00 है0	39.00	39.00
7	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय	8 माह	5280.00	42240.00
8	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	1.00 है0	L.S.	1000.00
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना	1.00 है0	143.00	143.00
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों का प्रोत्साहन व्यय	1.00 है0	L.S.	1000.00
9	अन्य व्यय जैसे कोई पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी, आदि क्रय वृक्षारोपण के [illegible] से बचाने हेतु पोलिथीन सीट क्रय वर्ष में दो–तीन बार फोटोग्राफी फील्ड [illegible] कार्यों का प्रचार प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य	1.00 है0	3073.00	3073.00
10	अन्य कार्य (श्रमिकों हेतु पानी की व्यवस्था)	–	L.S.	1000.00
	योग द्वितीय चरण:–			50280.58

वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य	1.00 है०	7920.00	7920.00
2	2.1 वृक्षारोपण के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1.00 है०	1475.00	1475.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1.00 है०	155.00	155.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	1.00 है०	L.S.	1000.00
3	अन्य कार्य (तारबाड़ मरम्मत)	1.00 है०	387.00	387.00
	योग:–			10937.00

वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य/श्रमिक	1.00 है०	7920.00	7920.00
2	अन्य कार्य	1.00 है०	387.00	387.00
	योग:–			8307.00

वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	1.00 है०	7920.00	7920.00
2	अन्य कार्य/निराई गुड़ाई/झाड़ी कटान/आग लाईन सफाई/तारबाड़ मरम्मत	1.00 है०	3364.00	3364.00
	योग:–			11284.00

वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य	1.00 है०	7920.00	7920.00
2	अन्य कार्य/निराई गुड़ाई/झाड़ी कटान/आग लाईन सफाई/तारबाड़ मरम्मत	1.00 है०	3364.00	3364.00
	योग:–			11284.00

वृक्षारोपण का पांचवें वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त पांचवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य	1.00 है०	7920.00	7920.00
2	अन्य कार्य	1.00 है०	3364.00	3364.00
	योग:–			11284.00

वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	1.00 है०	7920.00	7920.00
2	अन्य कार्य	1.00 है०	3364.00	3364.00
	योग:–			11284.00

वृक्षारोपण का सातवां वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवां वर्ष में अनुरक्षण कार्य	1.00 है०	7920.00	7920.00
2	अन्य कार्य	1.00 है०	3364.00	3364.00
	योग:–			11284.00
	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की कुल लागत:–	154953.48		

प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
नन्धौर, हल्द्वानी वन प्रभाग

वन क्षेत्राधिकारी
छकाता रेंज हल्द्वानी